NNI
हर खबर पर पक्की नजर
पत्रकारिता हमारा धर्म
निष्पक्षता हमारी पहचान
दैनिक हिन्दी समाचार पत्र
न्यूज नेक्स्ट इण्डिया
सत्यता व निष्पक्षता का छठवां वर्ष
www.nnindianews.com
वर्ष: 05, अंक-157, पृष्ठ: 12 बुधवार, 05 अगस्त, 2026, मूल्य-03 रूपये मात्र

अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर

तीन कांवड़ियों की मौत

गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में तीन कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव कलछीना के पास बुधवार सुबह करीब पांच बजे हुई, जब एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार तीनों शिव भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, तीनों कांवड़िये हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले थे और हरिद्वार की ओर कांवड़ यात्रा पर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिर गए और गंभीर चोटें आईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतकों की पहचान ज्ञानप्रकाश, राजकुमार और प्रदीप के रूप में की है। तीनों युवक एक ही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वाहन की पहचान और चालक की तलाश में जुटी हुई है।

अफ्रीका: यात्री वैन और ट्रक की टक्कर 14 लोगों की मौत

कम्पाला। युगांडा में एक यात्री वैन और रेत ले जा रहे ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। यह हादसा सोमवार रात कालुंगु जिले के कमुंगा ट्रेडिंग सेंटर इलाके में एक राजमार्ग पर हुआ। पुलिस ने एक बयान में कहा कि मरने वाले सभी लोग वैन में सवार यात्री थे। वहीं, चार अन्य घायल हो गए। अफ्रीका भर में सड़क दुर्घटनाएं एक समस्या हैं और युगांडा में ये आम हैं। इन दुर्घटनाओं के लिए अक्सर खराब रखरखाव वाले वाहन, अत्यधिक गति और खराब सड़क स्थितियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जुलाई में पूर्वी युगांडा में एक सुरम्य झरने की शैक्षिक यात्रा से लौट रही एक प्राथमिक विद्यालय की बस सड़क से उतरकर पलट गई, जिससे कम से कम 20 बच्चों और एक वयस्क की मौत हो गई।

कर्नाटक: फैक्ट्री में केमिकल हुआ लीक, तीन मजदूरों की मौत

यादगीर। कर्नाटक की एक फैक्ट्री में मंगलवार बड़ा हादसा हो गया। यहां फैक्ट्री में केमिकल लीक होने से 3 मजदूरों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। मामला कदेचुर-बडियाल इंडस्ट्रियल एरिया का है। मृतक तेलंगाना और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी पहचान तेलंगाना के महबूबनगर जिले के कटला गणेश और मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विक्रम सिंह गोंडा और संजय सिंह गोंडा के तौर पर हुई है। पुलिस ने बुधवार को मामले की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, इस घटना में दो लोग घायल भी हो गए। दोनों ही आंध्र प्रदेश के निवासी है। दोनों घायलों की की पहचान आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के रहने वाले हैं। दोनों का अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद फैक्ट्री में कामकाज रोक दिया गया। सैदापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

मोदी का वीडियो हटाने पर जुकरबर्ग माफी मांगें:- संसदीय समिति

● 3 दिन का वक्त, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक से हटाने के मामले में संसदीय समिति ने मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग से 3 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मेटा को भारत में मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और कुछ छूट वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। इसी मामले में आईटी मंत्रालय और मेटा के अधिकारियों के बीच दो दिन की बैठक चल रही है। सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को दिल्ली बुलाया है। 5 अगस्त को बैठक का पहला दिन था। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को यह वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने पेपर लीक को बड़ी समस्या बताया था। उन्होंने ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी बात कही थी। यह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हटा दिया गया था। बाद में मेटा ने इसे फिर से फेसबुक पर डाल दिया।

गाड़ी का बीमा नहीं तो पेट्रोल-डीजल नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। जिस गाड़ी का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, तो उसे पेट्रोल-डीजल ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत बीमा न होने पर पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की समय सीमा भी बढ़ा दी है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया है। इसके तहत पेट्रोल पंपों को गाड़ियों के वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस से जोड़ा जाएगा। अगर किसी गाड़ी का बीमा वैलिड नहीं पाया जाता है, तो पेट्रोल पंप पर उसे पेट्रोल या डीजल देने से मना कर दिया जाएगा।

ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन
ट्रेडमार्क, ब्रॉण्डनेम, फर्मनेम, डिजायन एवं कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराने व डुप्लीकेसी रोकने के लिए
ताज ट्रेडमार्क
E-mail: info@tajtrademark.in
www.tajtrademark.in
Toll Free No. 1800 270 5440
ESTD.: 1970
पी.के. अरोरा
संस्थापक
आनन्द वृन्दावन, संजय प्लेस, आगरा
फोन- 0562-4007024, 2971024, 2855024, 2854341, 08057500024
167, सेक्टर 15 ए, नोएडा। फोन: 0120-4110024